न्यायालय सहायक कलक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रट नदबई (भरतपुर)राज0
पीठासीन अधिकारी श्री मुहम्मद जुनैद(आई.ए.एस.)

प्रकरण सख्या 89/2011
किस्म प्रकरण :– दावा अन्तर्गत धारा 88,89,188 आर.टी.ए.
निर्णय दिनांक 04.01.2022

1. बनैसिंह उम्र 55 साल पुत्र बुद्धा जाति मीना निवासी झीलरा तहसील कुम्हेर हाल आबादा नंगला धुनई तहसील नदबई जिला भरतपुर (राज0)
2. बोदन उर्फ बोटन उम्र 48 साल बुद्धा जाति मीना निवासी झीलरा तहसील कुम्हेर हाल आबादा नंगला धुनई तहसील नदबई जिला भरतपुर (राज0)
3. धंमसिंह उम्र 45 साल पुत्र बुद्धा जाति मीना निवासी झीलरा तहसील कुम्हेर हाल आबादा नंगला धुनई तहसील नदबई जिला भरतपुर (राज0)

–वादीगण

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये जिला कलक्टर भरतपुर
2. तहसीलदार नदबई

–प्रतिवीगण

उपस्थिति अधिवक्ता श्री लक्ष्मणसिंह (वादीगण की और से)
पैरोकार सरकार तहसीलदार नदबई(प्रति की और से)

निर्णय दावा अन्तर्गत धारा 88,89,188 आर.टी.ए.

वादीगण द्वारा दावा अन्तर्गत धारा 88,89,188 आर.टी.ए. के तहत पेश किया गया। जिसका सक्षिप्त विवरण इस प्रकार है।

1. यह है कि आराजी ख0न0 2028 रकवा 0.27, 5112/2028 रकवा 0.28, 5111/2028 रकवा 0.27, किता 3 रकवा 0.82 वाके ग्राम नगला धुनई कबई प्रथम तहसील नदबई में स्थित है। जिसमें से खसरा नम्बर 2028 रकवा 0.27 का वादी स. 1 तथा खसरा नम्बर 5117/2028 रकवा 0.28 का वादी स. 2 व 5111/2028 रकवा 0.27 का वादी स. 3 खातेदार व काबिज है।
2. यह है कि उक्त विवादित आराजी वर्णित चरन स. 2 वाद पत्र की आराजी मूलत खसरा नम्बर 2028 रकवा 0.82 से बने है। विवादित आराजी वादी स. 1 लगायत 3 की बटवारे से अलग–अलग खातेदारी में आयी है। जिसका उल्लेख वाद पत्र स. 2 में किया गया है। जबकि मौके पर वादी स. 1 लगायत 3 ने उक्त आराजी की चारो ओर की एक ही मेड़बंदी कर रखी है। मौकें पर वादीगण के खातेदारी के अलग–अलग खेतो की कोई डौर मैड़ डली हुई नही है। क्योकि विवादित आराजी वादीगण की पुश्तैनी आराजी है। तथा अभी तक वादी सम्मिलत रहते चले आ रहे है। तथा सम्मिलित रहकर काश्त करते चले आ रहे है।
3. यह है कि विवादित आराजी संवत 2028 के साबिक खसरा नम्बर 1659 रकवा 3 बीघा 5 विस्वा से बनी है। तथा संवत 2028 में सैटिलमैट से पूर्व उक्त आराजी के खसरा नम्बर 1288 रकवा 5 बीघा 1 विस्वा था। सैटिलमैट संवत 2028 से बने खसरा नम्बर 1659 रकवा 3 बीघा 5 विस्वा वाके ग्राम नगला धुनई कबई वादीगण एवं वादीगण के चच्चा छज्जू व भूरिसिंह पि. चंदया के बॅटवारे से वादी स. 1 लगायत 3 के पक्ष में खातेदारी में आया।
4. यह है कि विवादित आराजी वाद पत्र का हाल खसरा नम्बर 2028 रकवा 0.82 जिसका साबिक खसरा नम्बर 1659 रकवा 3 बी. 5 [illegible] साबिक ख0न0 1288 रकवा 5 बी. 11 विस्वा जिसके बाबत हाल खसरा नम्बर वादी [illegible] लगायत 3 के नाम रिकार्ड में खातेदारी अंकित है तथा वादीगण स. 1 लगायत 3 [illegible] 2028 रकवा 0.82 वाके नगला धुनई कबई पर काबिज काश्त करते चले आ रहे है। [illegible] सैटिलमेन्ट संवत 2028 ने रकवा के मुताबिक कम बनाया है। [illegible] विभाग संवत 2060 [illegible] मुताबिक कब्जा व मुताबिक रकवा नक्शा ट्रेस नही बनाकर छोटा नक्शा बनाया है। जिससे मौके पर कब्जे के मुताबिक रिकॉर्ड जमाबन्दी तो वादीगण का रकवा साबिक रिकॉर्ड के मुताबिक सही है। लेकिन नक्शा ट्रेस की पैमाईश करने पर वादीगण का रकवा मौके पर कम बैठता है। मौके पर वादीगण के विवादित आराजी ख0न0 2028 की उत्तरी दिशा 85 मीटर व दक्षिणी दिशा की पैमाईश 90 मीटर व पूर्वी दिशा 88 मीटर व पश्चिमी दिशा की 70 मीटर हाल नक्शा में बैठती है। जबकि मौके पर

Signature Not Verified
Digitally signed by Muhammad Junaid P P
Date: 2022.01.05 12:55:19 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner

वादीगण स. 1 लगा. 3 हाल ख0न0 2028 की उत्तरी दिशा के 88 मी. रकवा पर व दक्षिण की तरफ 96 मी. व पूर्व की तरफ 100 मी. व पश्चिम की तरफ 78 मीटर पर काबिज पुराने समय से चले आ रहे है। दिनांक 21.06.2011 को गिरदावर हल्का पहरसर व हल्का पटवारी कबई प्रथम व हल्का पटवारी खेड़ीदेवीसिंह द्वारा वादीगण की विवादित आराजी ख0न0 2028 रकवा 0.82 वाके ग्राम नगला धुनई कबई की तहसीलदार नदबई के आदेश क्रमांक 19 दिनांक 20.05.2011 की पालना में मूल खसरा नम्बर में रिकॉर्ड के आधार पर मुताबिक विभाजन 5111/2028 रकवा 0.27, 5112/2028 रकवा 0.28 व ख0न0 2028 रकवा 0.27 की पैमाईस की पैमाईस कर मौका पर्चा बनाया गया तथा अन्य ख0न0 2031 व 2024 की भी पैमाईस की गई। तथा वादीगण के ख0न0 2028 का मय विभाजन के कुल रकवा 0.82 के मुताबिक मौका व कब्जा पूरा माना जाकर निशानदेही कराई गयी। तथा मौके पर रकवा वादीगण का रिकॉर्ड मुताबिक जमाबंन्दी 0.82 पाया गया।

5. यह है कि हाल राजस्व रिकॉर्ड के नक्शा ट्रेस में व सैटिसमेट संवत 2028 के अधिकारियो द्वारा विवादित आराजी का नाक्शा ट्रेस यानि कि नक्शा किस्तवार छोटा बनाये जान से पूरा रकवा नक्शा ट्रेस के सही नी बैठने से वादीगण स. 1 लगायत 3 के अधिकारो पर प्रतिकूल असर पडत्रता है। अत वादीगण स. 1 लगायत 3 हाल नक्शा ट्रेस में विवादित आराजी वाद पत्र संवत 2028 रकवा 0.82 जिसे विभाजन से 5111/2028 , 5112/2028 व 2028 बनाया जा चुका है। जिस पर वादीगण स. 1 लगायत 3 सम्मिलित सरीक रहकर काबिज है। कि नक्शा ट्रेस में उत्तर की दशा पैमाईश 88 मीटर व दक्षिमण की पैमाइस 96 मीटर व पूर्व की दिशा की पैमाइस 100 मीटर व पश्चिम की दिशा पैमाइस 78 मीटर अपने आपको खातेदार व काबिज घोषित करा पाने के अधिकारी है। तथा उक्त मुताबिक हाल नक्शा ट्रेस में दरूस्ती करा पाने के अधिकारी है। तथा वर्तमान नक्शा ट्रेस को कलमजन कराकर रिकॉर्ड जमाबंन्दी करवे के मुताबिक दुरूस्ती करा पाने के अधिकारी है।

6. यह है कि दिनांक 07.07.11 को प्रतिवादीगण स. 1 व 2 के अधीनस्त कर्मचारियो हल्का पटवारी आदि ने वादीगण स. 1 लगायत 3 को व मुकाम नगला धुनई कबई प्रथम पर दी गई कि हाल नक्शा ट्रेस के मुताबिक उनका रकवा रिकॉर्ड जमाबंन्दी में खातेदारी बाबत ख0न0 2028 रकवा 0.82 के अनुसार सही नही बैठता है। तथा नक्शा ट्रेस के अनुसार उनका रकवा कम है। इसलिए वे उन्हे विवादित आराजी से बेदखल करके रहेगें। उक्त दी गई धमकी में कामयाब हो गये तो वादीगण को अजीम क्षति होगी जिसकी पूर्ति जरिये नगद ना हो सकेगी। इसलिए वादीगण प्रतिवादीगण को जरिये स्थाई निषधाज्ञा की डिक्री से पाबन्द करा पाने का अधिकारी है।

7. यह है कि राज. सरकार जरिय जिला कलकटर को धारा 80 सीपीसी का नोटिस दिया जा चुका है। परन्तु दावा अजन्ट नेचर का होने के कारण धारा 80(2) जा.दी. के तहत नोटिस की म्याद पूरा होने से पहले ही धारा 80(2) जा.दी. के तहत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर दावा पेश किया गया।

8. यह है कि वाद पत्र वादी डिक्री फरमाया जावे कि वादीगण स. 1 लगायत 3 विवादित आराजी खसरा नम्बर 2028 जिसके विभाजन से 5111/2028 रेवा 0.27, 5112/2028 रकवा 0.28, 2028 रकवा 0.27 किता 3 कुल रकवा 0.82 जिस पर वादीगण सामिल तरीके से काबिज है की उत्तर दिशा की सीमा 88 मीटर,दक्षिण दिशा की सीमा 96 मीटर, व पूर्व दिशा की सीमा 100 मीटर व पश्चिम दिशा की सीमा 78 मीटर के अपने आपको खातेदार व काबिज घोषित करा पाने का अधिकारी है। तथा उक्त मुताबिक हालनक्शा ट्रेस में दुरूस्ती करा पाने के अधिकारी है। तथा वर्तामान नक्शा ट्रेस को मुताबिक रिकार्ड के खातेदारी में बघा पाने के तदानुसार दुरूस्ती करा पाने के अधिकारी है। तथा स्थाई निषेधाज्ञा वा हक प्रतिवादीगण 1 व 2 इस आशय की जारी की जावे कि विवादित आराजी से वादीगण को बेदखल ना करे।

9. दावा दर्ज रजि0 किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलव किये गये। प्रतिवादीगण स. 1 व 2 की और से पैरोकार सरकार तहसीलदार नदबई उपस्थित हुऐ। प्रतिवादी स. 1 व 2 की और से पैरोकार सरकार द्वारा जबाब दावा प्रस्तुत किये जाने हेतु न्यायालय द्वारा बार–बार अवसर चाहे गये बावजूद प्रतिवादी कि और से जबाब दावा पेश नही किया गया। प्रतिवादीगण का जबाब दावा दिनांक 25.02.2016 को बंन्द किया जाकर पत्रावली वास्ते साक्ष्य वादी में नियत कि गई।

Signature Not Verified
Digitally signed by Muhammad Junaid P P
Date: 2022.01.05 12:55:19 IST
Reason: SelfAttested

10. वादीगण द्वारा अपने वाद पत्र के समर्थन में दस्[illegible] के रूप में नकल जमाबंन्दी संवत 2066–2069 वाके ग्राम नगला धुन[illegible]क्षैत्रफल संवत 2060 वाके ग्राम नगला धुनई कबई प्रथम प्रद[illegible] भूप्रबंध [illegible] संवत 2001–2002 वाके ग्राम नगला धुनई कबई प्रथम प्रदर्श– 3, नकल [illegible] संवत 2028 वाके ग्राम नगला धुनई कबई प्रथम प्रदर्श– 4, नकल जमाबंन्दी संवत 2016 – 2019 वाके [illegible] नगला धुनई कबई प्रथम प्रदर्श –5, नकल मिलान क्षैत्रफल संवत 2028 वाके ग्राम नगला धुनई कबई प्रथम प्रदर्श– 6 नकल खसरा संवत 1982 वाके ग्राम नगला धुनई कबई प्रथम प्रदर्श –7 लगायत 11, नकल मौका पर्चा नगला धुनई कबई प्रथम ख0न0 2028 रकवा 0.82 प्रदर्श – 12, नोटिस जरिये अधिवक्ता विरूद्ध सरकार प्रदर्श 13, नकल नक्शा ट्रेस सन 1964–65 वाके ग्राम कबई प्रथम प्रदर्श– 14 पेश किये गये।

Scanned with CamScanner

11. वादीगण द्वारा अपने वाद पत्र के समर्थन में मौखिक ब्यान के रूप में शपथ पत्र श्री बोटन उर्फ बोटनसिंह जाति मीना निवासी झीलरा तहसील कुम्हेर हाल आबाद नगला धुनई तहसील नदबई एवं फतेसिंह पुत्र छत्तर जाति जाट निवासी कबई एवं रनधीरसिंह पुत्र मवासी जाति जाट निवासी कबई तहसील नदबई के पेश किये गये। इनसे जिरह प्रतिवादी पैरोकार द्वारा नही कि गई।

12. प्रतिवादी द्वारा अपने समर्थन में दस्तावेजी साक्ष्य व मौखिक साक्ष्य पेश नही किये गये उसके बाद पत्रावली वास्ते बहस अन्तिम नियत कि गई।

13. उभयपक्षकरान के विद्वान अधिवक्ता कि बहस अन्तिम सुनी गई पत्रावली का आवलोक किया गया तो पाया कि वादी द्वारा दावा अन्तर्गत धारा 88,89,188 आर.टी.ए.के तहत पेश किया गया। वादीगण द्वारा प्रस्तुत नकल जमाबंन्दी संवत 2066–2069 वाके ग्राम नगला धुनई कबई प्रथम प्रदर्श–1 में आराजी ख0न0 2028 रकवा 0.27, 5112/2028 रकवा 0.28, 5111/2028 रकवा 0.27, किता 3 रकवा 0.82 वाके ग्राम नगला धुनई कबई प्रथम तहसील नदबई में स्थित है। जिसमें से खसरा नम्बर 2028 रकवा 0.27 का वादी स. 1 तथा खसरा नम्बर 5117/2028 रकवा 0.28 का वादी स. 2 व 5111/2028 रकवा 0.27 का वादी स. 3 की खातेदारी का अंकन हो रहा है। नकल मिलान क्षैत्रफल संवत 2060 वाके ग्राम नगला धुनई कबई प्रथम प्रदर्श– 2 में हाल व गत खसरा नम्बरान को मिलान हो रहा है। नकल भूप्रबंध विभाग संवत 2001–2002 वाके ग्राम नगला धुनई कबई प्रथम प्रदर्श– 3 में वीदीगण कि खातेदारी का अंकन हो रहा है। आराजी संवत 2028 के साबिक खसरा नम्बर 1659 रकवा 3 बीघा 5 विस्वा से बनी है। तथा संवत 2028 में सैटिलमैट से पूर्व उक्त आराजी के खसरा नम्बर 1288 रकवा 5 बीघा 1 विस्वा था। सैटिलमैट संवत 2028 से बने खसरा नम्बर 1659 रकवा 3 बीघा 5 विस्वा वाके ग्राम नगला धुनई कबई वादीगण एवं वादीगण के चच्चा छज्जू व भूरिसिंह पि. चंदया के बॅटवारे से वादी स. 1 लगायत 3 के पक्ष में खातेदारी में आयी जो प्रदर्श 3 से साबित है। आराजी हाल खसरा नम्बर 2028 रकवा 0.82 जिसका साबिक खसरा नम्बर 1659 रकवा 3 बी. 5 विस्वा तथा खसरा नम्बर 1659 का साबिक ख0न0 1288 रकवा 5 बी. 11 विस्वा जिसके बाबत हाल खसरा नम्बर वादी स. 1 लगायत 3 के नाम रिकार्ड में खातेदारी अंकित है तथा वादीगण स. 1 लगायत 3 मौके पर हाल खसरा नम्बर 2028 रकवा 0.82 वाके नगला धुनई कबई पर काबिज काश्त है। जिसका नक्शा किस्तवार सैटिलमेट संवत 2028 ने रकवा के मुताबिक कम बनाया है। तथा उसी कदर सैटिलमेट विभाग संवत 2060 ने भी मुताबिक कब्जा व मुताबिक रकवा नक्शा ट्रेस नही बनाकर छोटा नक्शा बनाया है। जिससे मौके पर कब्जे के मुताबिक रिकॉर्ड जमाबंन्दी तो वादीगण का रकवा साबिक रिकॉर्ड के मुताबिक सही है। तहसीलदार नदबई के आदेश से नक्शा ट्रेस की पैमाईश करने पर वादीगण का रकवा मौके पर कम बैठता है। मौके पर वादीगण के विवादित आराजी ख0न0 2028 की उत्तरी दिशा 85 मीटर व दक्षिणी दिशा की पैमाईश 90 मीटर व पूर्वी दिशा 88 मीटर व पश्चिमी दिशा की 70 मीटर हाल नक्शा में बैठती है। जबकि मौके पर वादीगण स. 1 लगा. 3 हाल ख0न0 2028 की उत्तरी दिशा के 88 मी. रकवा पर व दक्षिण की तरफ 96 मी. व पूर्व की तरफ 100 मी. व पश्चिम की तरफ 78 मीटर पर काबिज पुराने समय से चले आ रहे है। दिनांक 21.06.2011 को गिरदावर हल्का पहरसर व हल्का पटवारी कबई प्रथम व हल्का पटवारी खेड़ीदेवीसिंह द्वारा वादीगण की विवादित आराजी ख0न0 2028 रकवा 0.82 वाके ग्राम नगला धुनई कबई की तहसीलदार नदबई के आदेश क्रमांक 19 दिनांक 20.05.2011 की पालना में मूल खसरा नम्बर में रिकॉर्ड के आधार पर मुताबिक विभाजन 5111/2028 रकवा 0.27, 5112/2028 रकवा 0.28 व ख0न0 2028 रकवा 0.27 की पैमाईस की पैमाईस कर मौका पर्चा बनाया गया तथा अन्य ख0न0 2031 व 2024 की भी पैमाईस की गई। तथा वादीगण के ख0न0 2028 का रकवा 0.82 के मुताबिक मौका व कब्जा पूरा माना जाकर निशानदेही कराई गयी। तथा मौके पर रकवा वादीगण का रिकॉर्ड मुताबिक जमाबंन्दी 0.82 पाया गया जो कि प्रदर्श –12 से साबित है। नकल भूप्रबंध विभाग संवत 2028 वाके ग्राम नगला धुनई कबई प्रथम प्रदर्श– 4 में वादीगण के पिता बुद्ध की खातेदारी का अंकन हो रहा है। नकल जमाबंन्दी संवत 2016 – 2019 वाके ग्राम नगला धुनई कबई प्रथम प्रदर्श –5 में वादीगण के पिता बुद्धा की खातेदारी का अंकन हो रहा है। नकल मिलान [illegible] संवत 2028 वाके ग्राम नगला धुनई कबई प्रथम प्रदर्श– 6 मे गत व हाल खसरा नम्बरान [illegible] मि[illegible] हो रहा है। नकल खसरा संवत 1982 वाके ग्राम नगला धुनई कबई प्रथम [illegible] लगायत [illegible] वादीगण के पिता कि काश्त का अंकन हो रहा है। इस ससबंध में वादीगण [illegible] के समर्थन में मौखिक ब्यान के रूप में शपथ पत्र श्री बोटन उर्फ बोटनसिंह जाति मीना [illegible] झीलरा तहसील कुम्हेर हाल आबाद नगला धुनई तहसील नदबई एवं फतेसिंह पुत्र छत्तर जाति जाट निवासी कबई एवं रनधीरसिंह पुत्र मवासी जाति जाट निवासी कबई तहसील नदबई के पेश किये गये जो वादी के वाद पत्र को ताहित करता है। इस प्रकार उपराक्त विवेचन से वाद वादीगण डिक्री किया जाना उचित है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Muhammad Junaid P P
Date: 2022.01.05 12:55:19 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner

—: आदेश :—

अतः आदेश है कि वादीगण स. 1 लगायत 3 विवादित आराजी खसरा नम्बर 2028 जिसके विभाजन से 5111/2028 रेवा 0.27, 5112/2028 रकवा 0.28, 2028 रकवा 0.27 किता 3 कुल रकवा 0.82 वाके ग्राम नगला धुनई कबई प्रथम जिस पर वादीगण सामिल तरीके से काबिज है की उत्तर दिशा की सीमा 88 मीटर,दक्षिण दिशा की सीमा 96 मीटर, व पूर्व दिशा की सीमा 100 मीटर व पश्चिम दिशा की सीमा 78 मीटर के अपने आपको खातेदार व काबिज घोषित किया जाता है। तथा उक्त मुताबिक हालनक्शा ट्रेस में दुरूस्ती किया जाता है। तथा वर्तमान नक्शा ट्रेस को मुताबिक रिकार्ड के खातेदारी में बढा कर तदानुसार दुरूस्ती अंकन किया जावें।

निर्णय आजा दिनांक 04.01.2022 को सर इजलास लिखाया जाकर सुनाया गया। पत्रावंली फैसल शुमार होकर दाखिल दफतर हो।

Junaid

मुहम्मद जुनैद
(आई.ए.एस.)
सहायक कलक्टर
नदबई (भरतपुर)

Signature Not Verified

Digitally signed by Muhammad Junaid P P
Date: 2022.01.05 12:55:19 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner